उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 227–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 24–60–पी / 98–टीसी–2018, दिनांक :13.02.2024

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ,
एवं केस्को–कानपुर।

विषय : सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के देयों का भुगतान उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों में दीर्घकाल से लम्बित पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 महोदय द्वारा दिनांक 06.02.2024 को की गई समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के देयों का भुगतान उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर किया जाए।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयों के भुगतान / अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने हेतु निर्गत वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : सा0–3 / 1713 / दस–87–933 / 89, दिनांक 28.07.1989 में पेंशन निस्तारण के सम्बन्ध में चरणबद्व कार्यवाही कराये जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश / व्यवस्थायें प्राविधानित है।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त शासनादेश में सेवा–नैवृत्तिक देयों के भुगतान में होने वाले विलम्ब को दूर किये जाने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था / दिशा–निर्देश प्राविधानित होने के उपरान्त भी सेवानिवृत्त कार्मिको को उनकी सेवानिवृत्ति पर समय से सेवा–नैवृत्तिक देयों की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही नहीं हो पाने के दृष्टिगत कारपोरेशन के पत्र संख्या–1178–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 19–60–पी / 98, दिनांक 17.10.2019 द्वारा पेंशन प्रकरणों एवं भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के शीध्र निस्तारण हेतु चरणबद्व कार्यवाही किये जाने के दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कारपोरेशन के पत्र संख्या : 1178–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 19–60–पी / 98, दिनांक 17.10.2019 द्वारा पेंशन निस्तारण / सेवा–नैवृत्तिक देयों के भुगतान के शीध्र निस्तारण हेतु चरणबद्व कार्यवाही कराये जाने सम्बन्धी प्राविधानित व्यवस्थायें / दिशा–निर्देशो का कड़ाई से नैष्ठिक अनुपालन कराये जाने हेतु कृपया सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें **ताकि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के देयों का भुगतान उनके सेवानिवृत्ति की तिथि पर किये जाने सम्बन्धी, अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 महोदय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सकें।**

भवदीय,

(कमलेश बहादुर सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

क्रमशः......2

संख्या : 227–पें0एवंआर0–28 / पाकालि0 / 24 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01 निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ, एवं केस्को–कानपुर।

02 निदेशक (पारेषण), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

03 मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

04 समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

05 अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

06 महानिदेशक, (मा0सं0 एवं विकास), वि0प्र0सं0, सरोजनी नगर, लखनऊ।

07 अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

08 संयुक्त सचिव (अ0प्र0–01 / अ0प्र0–02 / सचि0प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

09 उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

10 अधिसाशी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(कमलेश बहादुर सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)